

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर


क्रमांक:-मुसप्र/2016/63.

दिनांक:- 13/4/16

### आदेश

मण्डल की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 को बिन्दु संख्या 229.21 में लिये गये निर्णय के संबंध में प्रकरण पुनः विचारार्थ मण्डल की 230वीं बैठक दिनांक 01.04.2016 को बिन्दु संख्या 230.21 में लिये गये निर्णयानुसार जयपुर शहर की योजनाओं में फ्लेट्स का निस्तारण खुली ब्रिकी योजना के तहत किया जाये, लेकिन जयपुर शहर की योजनाओं में उपलब्ध स्तंत्र आवासों के नीलामी के जरिये ही निस्तारण के प्रयास किये जाये एवं बोर्ड की अगली बैठक में नीलामी से निस्तारण के परिणामों की जानकारी दी जावे।

अतः उक्त आदेशों को समक्ष स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक

### प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/विंतीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक, रा0आ0म0, जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा0आ0म0, जयपुर।
6. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबंधक, रा0आ0म0 जयपुर।
7. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-..... रा0आ0म0..... ।
8. आवासीय अभियन्ता खण्ड-....., रा0आ0म0..... ।
9.  सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
10. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
11. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

  
मुख्य सम्पदा प्रबंधक